न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 61/2015 – निगरानी

1. प्रदीप कुमार व्यास पुत्र श्री मुरली मनोहर व्यास निवासी ब्राह्मणों की सरेरी तह. आसीन्द	बनाम	1. श्रीमती कंचन देवी पत्नि भंवरलाल काबरा , निवासी ब्राह्मणों की सरेरी तह. आसीन्द 2. ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी जरिये सचिव ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी तह. आसीन्द जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
निगरानी विरूद्व पट्टा सं. 63 दिनांक 09.03.2010 फेसल दिनांक 06.08.2009 मिसल पत्रावली सं. 55 दिनांक 02.08.2009

निर्णय

दिनांक 22/12/2016

1. श्री पंकज दाधीच अधिवक्ता – निगराकार की ओर से उपस्थित
2. श्री एस.एन.चण्डक अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से उपस्थित
3. श्री रमेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता – विपक्षी सं. 2 की ओर से उपस्थित

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 6.11.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार जो पूर्व में अधिनस्थ ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी प.सं. आसीन्द में दिनांक 31.01.2000 से दिनांक 22.01.2010 तक सरपंच के पद पर पद स्थापित रहा । आलौच्च अवधि के दौरान गैर निगराकार सं. 01 ने गैर निगराकार सं. 02 अधिनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष ग्राम ब्राह्मणों की सरेरी में स्थित प्लॉट / मकान के पटटा हेतु आवेदन किया । जिस पर अधिनस्थ ग्राम पंचायत में पत्रावली का संधारण कर पटटा जारी करने के आदेश दिये गये । तथाकथित पटटा के क्रम में वास्तविक तथ्य यह है कि तत्कालीन सचिव द्वारा निगराकार जो कि सरपंच के पद पर था उस दौरान पटटे जारी करने के आदेश दिये। उन व्यक्तियों को रसीद काटकर शुल्क जमा करने का विश्वास दिलाते हुये पटटों पर हस्ताक्षर करा लिये , लेकिन बाद में तत्कालिन सचिव द्वारा निगराकार के सरपंच पद पर हटने के बाद निगराकार के हस्ताक्षरशुदा पटटों को शुल्क जमा कर जारी कर दिये जो विधि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

रूद्व था । वर्णित पटटों के बारे में हाल ही में दैनिक समाचार पत्रों मे खबर प्रकाशित होने पर जानकारी हुयी और जानकारी होते ही यह निगरानी प्रस्तुत की गयी ।

निगराकार ने अपनी निगरानी मे यह भी उल्लेख किया कि गैर निगराकार सं. 01 की ओर से विधिवत रूप से पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया । जिस पर पत्रावली संधारित की जाकर पंचायत की कौरम में दिनांक 6.8.2009 को पट्टा जारी करने के आदेश सर्वसम्मति से पारित किये । गैर निगराकार सं. 01 के साथ-साथ अन्य लोगों ने भी पट्टे के हेतु आवेदन करने पर उन्हें भी पटटे जारी करने के आदेश सर्वसम्मति से दिये गये । तत्कालिन सचिव श्री नेमीचन्द शर्मा द्वारा निगराकार जो कि तत्समय में सरपंच पद पर था विश्वास में लेकर कहा कि आप अधिकतर बाहर रहते है , जो भी पटटेधारी शुल्क जमा कराने आयेगा उसको शुल्क जमा कराकर पटटा जारी कर दिया जायेगा । जिसपर जिन जिन व्यक्तियों के नाम पर पटटा जारी करने का प्रस्ताव लिया उनके नाम पटटे मे उल्लेखित करके राशि जमा कराने की तारीख खाली छोडते हुये सभी पटटों पर निगराकार के हस्ताक्षर करा लिये और बाद में निगराकार सरपंच पद से हटने के बाद विवादित पटटे निगराकार के कार्यकाल के दौरान जारी कर दिया गया , जिससे अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पटटा विधि विरूद्व होकर निरस्त योग्य है ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 16.11.2015 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ ग्राम पंचायत से पुश्तैनी पट्टा जारी करने संबंधी पत्रावली तलब की गयी।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार व गैर निगराकार सं. 2 के अधिवक्ता की दिनांक 19.12.2016 को बहस सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी में विवाद का विषय यह है कि गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में ग्राम ब्राह्मणों की सरेरी में अपने पुश्तैनी मकान का पंचायत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 'ख' के तहत पंचायत की कौरम के प्रस्ताव अनुसार पटटा जारी करने के आदेश पारित किये , लेकिन आदेश पारित करते समय गैर निगराकार सं. 01 की ओर से निर्धारित शुल्क राशि जमा न होने से पटटा जारी नही किया गया था , केवल खाली पटटों पर तत्कालिन सचिव ने निगराकार के हस्ताक्षर सरपंच की हैसियत से यह कहकर करवाये कि निर्धारित शुल्क राशि जमा होने पर संबंधित को पट्टा जारी कर दिया

अतिरिक्त जिला कलक्टर

जायेगा । तत्पश्चात दिनांक 22.01.2010 तक निगराकार सरपंच के पद पर पदस्थापित रहा व इसके बाद सरपंच पद से उन्मोचित होकर आम नागरिक की श्रेणी में आ जाने के पश्चात तत्कालिन सचिव ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी प.सं. आसीन्द ने निगराकार के सरपंच पद का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात तथाकथित विवादित पटटा जारी कर दिया जिसे निरस्त कराने का अनुतोष निगराकार द्वारा चाहा गया है ।

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी में जो पटटा विलेख प्रस्तुत किया है वो निगराकार प्रदीप कुमार सरपंच ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी के हस्ताक्षर युक्त दिनांक 09.03.2010 को जारी किया गया जबकि पटटा जारी करने की दिनांक को श्री प्रदीप कुमार सरपंच ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी सरपंच के पद पर पदासीन नही थे । इसके अतिरिक्त गैर निगराकरान की ओर से निगराकार की निगरानी के खण्डन में कोई प्रतिकथन प्रस्तुत नही किया गया , जिससे यह परिकल्पना की जाती है कि गैर निगराकारान को निगराकार की निगरानी परोक्ष रूप से स्वीकार है । ऐसी स्थिति में अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में पुश्तैनी मकान का जारी किया गया पटटा विधिक रूप से त्रृटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य ठहराते हुये निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरायी जाती है । अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी बमामले पत्रावली सं. 55 दिनांक 02.08. 2009 पटटा सं. 63 जारी दिनांक 06.08.2009 के क्रम में स्वीकार की जाकर अधिनस्थ ग्राम पचांयत द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी प.सं. आसीन्द पत्रावली सं. 55 दिनांक 02.8.2009 व पटटा क्रमांक 63 दिनांक 06.08.2009 को अपास्त किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी प.सं. आसीन्द को निर्देश दिया जाता है कि तथाकथित पटटा विलेख व पत्रावली पर निरस्तीकरण के आदेश उल्लेखित किया जावे । तलबिदा रेकार्ड मय निर्णय प्रति के अधिनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ लौटाया जावे । आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द को तत्कालीन ग्राम सचिव एवं सरपंच के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 22/12/2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/12/16

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा